भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3717

18 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

पीडीएस का आधुनिकीकरण

3717. श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री संजय दीना पाटिल:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री अमर शरदराव काले:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या ई-पीओएस मशीनों और आधार लिंकेज जैसी प्रौद्योगिकी-संचालित पहलों को राज्यों में पूरी तरह से लागू किया गया है और यदि हां, तो आधुनिकीकरण प्रक्रिया के दौरान क्या चुनौतियां आईं;

(ग) पीडीएस के तहत संचालित उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानें बंद हुई हैं और यदि हां, तो वंचित क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ड.) देश में स्मार्ट पीडीएस पहल की प्रगति उन राज्यों सहित क्या है जहां इसे पूरी तरह से लागू किया गया है और पारदर्शिता में सुधार पर इसका प्रभाव और इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा क्या है;

(च) क्या पीडीएस से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें दर्ज की गईं और उनका समाधान किया गया; और

(छ) इस तंत्र की दक्षता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): प्रौद्योगिकी संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के भाग के रूप में, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से डिजिटीकृत कर दिया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर लागू किए गए हैं। साथ ही सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुददुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण स्कीम को अपनाया है) में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

...2/-

(ख) और (ग): वर्तमान में, राष्ट्रीय स्तर पर 99.8 % राशन कार्ड आधार कार्ड से जोड़ दिए गए हैं। अब तक देश में कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख (99.6 %) उचित दर दुकानों को ईपीओएस डिवाइस संस्थापित कर स्वचालित किया गया है, ताकि लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) से खाद्यान्नों का वितरण किया जा सके। उचित दर दुकानों (एफपीएस) पर संस्थापित ईपीओएस का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारियों के तहत प्रचालित होती है। खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के विनिर्दिष्ट डिपुओं तक परिवहन के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों का आबंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित करना, उचित दर दुकान डीलरों को लाइसेंस जारी करना और उचित दर दुकानों (एफपीएस) की कार्य-प्रणाली का पर्यवेक्षण और निगरानी आदि संबंधी प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती हैं।

(ड.): इस विभाग ने "सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार हेतु स्कीम (स्मार्ट-पीडीएस)" संबंधी एक नई स्कीम को मंजूरी दी है। उक्त पहल का उद्देश्य नई और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा अन्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों को लागू करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और आधुनिक करना है, ताकि सार्वजनिक सुपुर्दगी की दक्षता में सुधार, लाभार्थियों तक पहुंच मे विस्तार और अधिक पारदर्शी तरीके से सेवाओं की समय पर डिलीवरी की जा सके।

अब तक 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने (तमिलनाडु को छोड़कर) स्मार्ट पीडीएस स्कीम को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(च) और (छ): अभीष्ट लाभार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायतों को करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित शिकायतों के निवारण तथा किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हेल्पलाइन नंबर 1967/1800-राज्य श्रृंखला नंबर चालू है। इस विभाग में जब भी किसी स्रोत/माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो जांच और उचित कार्रवाई के लिए उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेजा जाता है। इस विभाग में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक टीपीडीएस पर प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उक्त आदेशों के प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी अपराध के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 18.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3717 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुबंध

उचित दर दुकानों पर संस्थापित ईपीओएस का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल उचित दर दुकानें	ईपीओएस उपकरणों के साथ परिचालन
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	416	416
2	आंध्र प्रदेश	29,791	29,791
3	अरुणाचल प्रदेश	1,680	1,680
4	असम	34,300	34,286
5	बिहार	50,951	50,951
6	चंडीगढ़	लागू नहीं	लागू नहीं
7	छत्तीसगढ	13,675	13,675
8	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	114	114
9	दिल्ली	1,993	1,993
10	गोवा	452	452
11	गुजरात	16,949	16,949
12	हरियाणा	9,434	9,434
13	हिमाचल प्रदेश	5,219	5,155
14	जम्मू एवं कश्मीर	6,737	6,737
15	झारखंड	25,228	25,228
16	कर्नाटक	20,403	20,325
17	केरल	13,913	13,905
18	लद्दाख	404	404
19	लक्षद्वीप	39	39
20	मध्य प्रदेश	27,377	27,127
21	महाराष्ट्र	52,642	52,642
22	मणिपुर	2,339	2,339
23	मेघालय	4,735	4,727
24	मिजोरम	1,258	1,258
25	नगालैंड	1,783	1,774
26	ओडिशा	12,044	12,044
27	पुदुचेरी	NA	NA
28	पंजाब	18,150	18,150
29	राजस्थान	27,062	25,579
30	सिक्किम	1,312	1,312
31	तमिलनाडु	34,805	34,805
32	तेलंगाना	17,246	17,246
33	त्रिपुरा	2,057	2,057
34	उत्तराखंड	9,059	9,059
35	उत्तर प्रदेश	79,216	79,216
36	पश्चिम बंगाल	20,476	20,476
	राष्ट्रीय सारांश	**5,43,259**	**5,41,345**

*****

अनुबंध-II

लोक सभा के दिनांक 18.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3717 के उत्तर के भाग (च) और (छ) में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक व्यक्तियों, संगठनों और मीडिया रिपोर्टों आदि के माध्यम से विभाग को टीपीडीएस पर प्राप्त शिकायतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019	2020	2021	2022	2023
1	आंध्र प्रदेश	6	20	21	25	41
2	अरुणाचल प्रदेश	1	-	-	-	10
3	असम	8	39	8	13	48
4	बिहार	119	335	203	224	380
5	छत्तीसगढ	7	17	38	39	35
6	दिल्ली	81	186	185	212	256
7	गोवा	1	-	2	1	3
8	गुजरात	9	36	33	147	82
9	हरियाणा	39	69	83	87	347
10	हिमाचल प्रदेश	1	2	2	6	9
11	जम्मू एवं कश्मीर	3	7	8	19	24
12	झारखंड	17	49	185	236	348
13	कर्नाटक	18	69	18	38	85
14	केरल	11	13	13	7	6
15	मध्य प्रदेश	26	55	57	101	187
16	महाराष्ट्र	24	150	88	118	181
17	मणिपुर	-	2	1	1	2
18	मेघालय	1	1	-	-	2
19	मिजोरम	-	-	-	-	1
20	नगालैंड	1	1	-	-	-
21	ओडिशा	16	39	57	44	66
22	पंजाब	14	32	20	31	86
23	राजस्थान	24	45	54	72	93
24	सिक्किम	-	-	-	-	-
25	तमिलनाडु	16	46	57	55	103
26	तेलंगाना	3	18	33	10	40
27	त्रिपुरा	-	3	1	5	17
28	उत्तराखंड	14	27	37	53	54
29	उत्तर प्रदेश	343	589	507	714	1614
30	पश्चिम बंगाल	51	213	150	129	169
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	-	-	-	3	-
32	चंडीगढ़	-	5	7	4	-
33	दादरा एवं नगर हवेली	-	2	-	-	2
34	दमन एवं दीव	-	-	-	-	1
35	लक्षद्वीप	-	-	-	1	1
36	पुदुचेरी	1	6	1	3	2
37	लद्दाख	-	-	-	-	-
कुल		**855**	**2076**	**1869**	**2398**	**4295**

*****